भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 117
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

कौशल भारत योजना के माध्यम से प्रशिक्षण और रोजगार

117. श्री नरेश गणपत म्हस्के: **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
श्री प्रवीण पटेल: **श्री अजय कुमार मंडल:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 'कौशल भारत' योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जिलों में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य विशेषकर भागलपुर में कौशल भारत योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित और रोजगार दिए गए युवाओं/लोगों की राज्य-वार, जिले-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है:

(घ) कौशल भारत योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित कार्यों का जिले-वार ब्यौरा क्या है और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ड) क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के सफलता दर जानने के लिए कोई कौशल-पश्चात मूल्यांकन प्रणाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारत सरकार के अंतर्गत कुशल भारत मिशन (सिम) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस कर भविष्य के लिए तैयार करना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) : पीएमकेवीवाई स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण

और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनः कौशलीकरण प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य निरक्षरों, नव-साक्षरों और प्राथमिक स्तर की शिक्षा रखने वाले तथा 15-45 वर्ष की आयु-वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को "दिव्यांगजन" और अन्य पात्र मामलों में उचित आयु में छूट के साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी अल्प आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में उद्योग कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग में कुशल कार्यबल तथा युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक विगत तीन वर्षों के दौरान एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की जिला-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

इसके अलावा, इस स्कीम के पहले तीन संस्करणों में पीएमकेवीवाई के एसटीटी घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया। नियोजन को पीएमकेवीवाई 4.0 से अलग कर दिया गया है, जो कि वित्त-वर्ष 2022-23 से लागू होने वाली स्कीम का वर्तमान संस्करण है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान एसटीटी घटक के तहत प्रशिक्षित और नियुक्त उम्मीदवारों की जिलेवार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

चूंकि उपर्युक्त अनुबंध-I और II में विवरण बहुत विस्तृत है इसलिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट https://msde.gov.in/en/useful-links/parl-ques/lok-sabha पर अपलोड किया गया है।

(ङ) प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा अर्जित कौशल और ज्ञान का सटीक मूल्यांकन करने के लिए एक सुदृढ़ और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के उपरांत, उम्मीदवार मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के साथ किए गए एक सावधानीपूर्वक आकलन से गुजरता है। ये एजेंसियां राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आकलन में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर, उम्मीदवार को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित अवार्डिंग निकाय द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

*****